भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .712

जिसका उत्तर **24.07.2025** को दिया जाना है

किसानों को एनएच 352क के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा

712. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हरियाणा में एनएच-352क परियोजना के लिए किसानों की भूमि बाजार दर से बहुत कम मुआवजे पर अधिग्रहीत की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस अधिग्रहण प्रक्रिया में किसानों को बाजार दर की तुलना में प्रति एकड़ कितना मुआवजा दिया गया है और यह मुआवजा बाजार दर से कितना कम है;

(ग) क्या सरकार को इस भूमि अधिग्रहण के संबंध में किसानों की असहमति/विरोध/न्यायालय में दायर याचिकाओं की जानकारी है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा किसानों को न्याय दिलाने और मुआवजे की राशि का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवज़ा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और आरएफसीटीएलएआरआर (भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(क) के तहत अधिसूचित भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) द्वारा निर्धारित किया जाता है। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में बाजार मूल्य के आधार पर मुआवज़े के निर्धारण और मूल्य के 100% क्षतिपूर्ति और अन्य लागू लाभों के भुगतान का प्रावधान है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3छ (5) के प्रावधानों के अनुसार, यदि भूमि मालिक सीएएलए द्वारा पारित मुआवज़े के किसी निर्णय से असंतुष्ट है, तो ऐसे विवाद का निपटान हरियाणा में जिले के उपायुक्त द्वारा किया जाता है, जिन्हें मध्यस्थ के रूप में अधिसूचित किया गया है।

*****